भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 437

बुधवार 7 अगस्त, 2013/16 श्रावण 1935 (शक)

भविष्य निधि योजना के दायरे में आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु पेंशन

437. श्रीमती गुन्डु सुधारानी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय ने भविष्य निधि योजना के दायरे में आने वाले सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन दिए जाने संबंधी निवेदन कब से किया हुआ है;
(ख) क्या यह सच है कि सरकार भविष्य निधि योजना के दायरे में आने वाले सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रति माह 1000 रुपए की पेंशन प्रदान किए जाने पर कार्य कर रही है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वित होने के पश्चात सरकार को कितना बोझ उठाना पड़ेगा?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): पूर्ववर्ती कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के स्थान पर 16 नवम्बर, 1995 से कर्मचारी पेंशन स्कीम,1995 लागू हुई, जो अन्य बातों के साथ-साथ अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति तथा परिवार पेंशन प्रदान करती है।

(ख) से (घ): जी, हां। कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत सदस्य पेंशन भोगियों के लिए 1000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन सुरक्षित करने के लिए ईपीएस, 1995 में वर्तमान सरकारी अंशदान को मजदूरी के मौजूदा 1.16% से बढ़ाकर 1.79% किया जाना अपेक्षित है जिससे प्रथम वर्ष में सरकार का वर्तमान अंशदान लगभग 990 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से बढ़कर 1533 करोड़ रुपये हो गया है। केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अंशदान की प्रवृति का विश्लेषण इंगित करता है कि केन्द्र सरकार का अंशदान पिछले पांच वर्षों से 10-15% प्रतिवर्ष की औसत से बढ़ रहा है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 127*

बुधवार, 14 अगस्त, 2013/23 श्रावण, 1935 (शक)

मध्य प्रदेश में सेवानिवृत्त कामगारों के लिए न्यूनतम पेंशन को लागू किया जाना

***127. डा. चंदन मित्रा:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लगभग 610 मिलियन सेवानिवृत्त कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से प्रति माह मात्र 250 रुपए की मामूली-सी पेंशन मिलती है;

(ख) क्या सरकार सभी कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं को एक हजार रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन दिए जाने को सुनिश्चित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को विशेषकर, मध्य प्रदेश में कब तक लागू कर दिये जाने की संभावना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री शीश राम ओला)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

डा. चंदन मित्रा द्वारा 'मध्य प्रदेश में सेवानिवृत्त कामगारों के लिए न्यूनतम पेंशन का क्रियान्वयन' के संबंध में उत्तर के नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं.127 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(क): 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि संगठन के अधीन कर्मचारी पेंशन योजना,1995 के 40.44 लाख पेंशनधारकों में से 2.92 लाख पेंशनधारक 250/- रुपये प्रतिमाह से कम पेंशन राशि का आहरण कर रहे हैं।

(ख) और (ग): मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में कर्मचारी पेंशन योजना,1995 के सदस्य पेंशनधारकों को 1000/- रुपये का न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1044

बुधवार, 14 अगस्त, 2013/23 श्रावण, 1935 (शक)

अनुबंधित कामगारों के पहचान पत्रों पर उनके पीएफ कोड

1044. श्रीमती वानसुक साइम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास ठेकेदारों द्वारा अपने अनुबंधित श्रमिकों को भुगतान की गई मजदूरी खाते से कटौती कर जमा की गई 25,000 करोड़ रुपए की भारी धनराशि है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस श्रेणी के अंतर्गत अधिकांश खाते अपृथक्करणीय हैं और लाभार्थियों की पहुंच से बाहर हैं;

(ग) सरकार ईपीएफ के बारे में अनुबंधित श्रमिकों को जागरूक बनाने तथा पीएफ धनराशि संबंधित प्रक्रियाओं को सुगम बनाने हेतु कौन कौन से कदम उठाएगी; और

(घ) क्या ईपीएफओ सभी सरकारी अभिकरणों के लिए अपने अनुबंधित कामगारों के पहचान पत्रों पर उनके पीएफ कोड को अंत:स्थापित किए जाने को अनिवार्य बनाने की योजना बना रहा है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): जी, नहीं।

(ख): उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

जारी...2/-

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा इसके अंतर्गत बनाई गई योजनाएं नियमित कर्मचारियों तथा ठेका कामगारों में कोई अंतर नहीं करते।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अधिनियम के अंतर्गत नामांकित सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि राशि के संबंध में प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करने का लगातार प्रयास रहा है।

ठेका श्रमिकों सहित श्रमिकों को लाभान्वित करने वाली पहलों तथा चल रही गतिविधियों का विज्ञापन करने के लिए नियोक्ता संघों तथा कामगार यूनियनों के साथ सार्वजनिक बैठकें, सेमिनार, कार्यशालाएं, शैक्षणिक कैम्प आयोजित करने के लिए हाल ही में देश भर के फील्ड कार्यालयों को निदेश जारी किए गए हैं।

सदस्यों के दावों के शीघ्र निपटान तथा उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में भविष्य निधि राशि के अंतरण के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रक्रिया को सरल बनाया गया है:-

क) अनुमोदन की प्रक्रिया को दो स्तरों तक घटाकर दावों के निपटान की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया गया है।

ख) सीधे सदस्यों के बैंक खातों में निधियों के शीघ्र अंतरण के लिए नेशनल इलैक्ट्रोनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) सुविधा प्रारम्भ की गई है।

ग) सदस्य को उपर्युक्त दो चरणों में दर्शाए अनुसार उसके दावे की स्थिति के बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है, यदि सदस्य दावा जमा करते समय अपना मोबाइल नं. उपलब्ध कराता है।

ईपीएफओ की वेबसाइट पर ई-पासबुक की सुविधा भी प्रदान की गई है। ईपीएफओ की वेबसाइट पर अपने आपको पंजीकृत करके भविष्य निधि सदस्य अपनी भविष्य निधि विवरणी को देख सकता है अथवा उसका प्रिंटआउट ले सकता है।

(घ): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

******